उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-25/2016/770/अड्तीस-6-16-06एवीआरवाई/2015

लखनउ दिनांक-27 सितम्बर, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 804 हजार की बजट व्यवस्था की गई है। वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधानित बजट रू0-8.04 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात रू0-4.02 लाख की धनराशि दि0-25.04.2016 को जारी की गयी है। उक्त प्रकोष्ठ हेतु 50 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0-4.02 लाख में से 02 मजदूरी मद की शेष धनराशि रू0-2.88 लाख (दो लाख अठ्ठासी हजार मात्र) को निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उपर्युक्त दर्शायी गयी धनराशि का उपयोग ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के स्तर पर किया जाएगा। अत इस धनराशि के सम्बंध में आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को आहरण वितरण अधिकार दिया जाता है।

3- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मिव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जाए तथा विशेष रूप से यात्रा-व्यय, गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा कार्यालय व्यय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता संबंधी नवीनतम जारी आदेशों का अनुपालन करते हुये अधिकतम आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाये। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाये। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करते के बाद ही किया जाये। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा उक्त प्रकोष्ठ के प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं व्ययाधिक्य कदापि न किया जाये तथा अनुपयोगित धनराशि वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जाये।

4- प्रस्तर-3 में दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ-02-मजदूरी के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

हीरा लाल,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-25/2016/770(1)/अडतीस-6-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबादा।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबादा।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें नवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी लेखा/सहायक लेखाकार, (लेखा कोष्ठक) ग्राम्य विकास विभाग।
6- आहरण वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास सचिव, शाखा।
7- विशेष कार्याधिकारी एवं निदेशक ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- नियोजन अनुभाग-4/ ग्राम्य विकास अनुभाग-2, ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in